RIGHT TO INFORMATION

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/DR-HCIND/ 280 **Indore, Dated 07.02.2019**

प्रेषक :

डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

प्रति,

श्री बंटी सूर्यवंशी पिता श्री मनोहरलाल सूर्यवंशी,
उम्र 36 साल, व्यवसाय–नौकरी पता :– 41/3,
आर्य समाज मार्ग, बहादुरगंज,
उज्जैन (म.प्र.)

विषय :– आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रस्तुत सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन आई॰डी॰क्रमांक 35/2018–2019 के निरस्तीकरण बाबद्।

उपरोक्त विषय में आपके द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आवेदन–पत्र दिनांक 21/01/2019 जिसे आई॰डी॰क्रमांक 35/2018–2019 पर दिनांक 21/01/2019 को पंजीकृत किया गया था एवं जिसके द्वारा आपने श्रीमती उमा श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त अनुभाग अधिकारी, म.प्र.उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर से संबंधित जानकारी की **"दिनांक 07/11/2016 से 26/11/2016 तक श्रीमती उमा श्रीवास्तव मेडम (सेवा निवृत्त अनुभाग अधिकारी, म.प्र. उच्च न्याया॰ खण्डपीठ, इन्दौर) चिकित्सीय अवकाश पर थी, जिस हेतु उन्होने जो की नोटशीट/एप्लीकेशन/दस्तावेज स्थापना शाखा में प्रस्तुत किए है की सत्य प्रतिलिपि"** मांगी थी।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जे) व धारा 11 के अनुसार उपरोक्त जानकारी श्रीमती उमा श्रीवास्तव की व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित प्रतीत होने व जिसके प्रकट करने का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध प्रतीत नहीं होने से श्रीमती उमा श्रीवास्तव को इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देना व उन्हें प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाने हेतु श्रीमती उमा श्रीवास्तव को सूचना–पत्र जारी किया गया था व उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे दिनॉक 02/02/2019 को या इसके पूर्व व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर या तो उनसे संबंधित उपरोक्त व्यक्तिगत जानकारी आप श्री बंटी सूर्यवंशी को देने बाबद अनापत्ति प्रस्तुत करे या प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जिसके पालन में श्रीमती उमा श्रीवास्तव ने व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनांक–01/02/2019 को उपस्थित होकर लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए उनसे संबंधित व्यक्तिगत सूचना जो कि उनकी निजी व गोपनीय जानकारी हैं उसे आपको प्रदान नहीं किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध कड़ी आपत्ति लेकर निवेदन किया था कि उनकी व्यक्तिगत एवं गोपनीय जानकारी प्रदान नहीं की जावे क्योंकि उपरोक्त सूचना व्यापक लोकहित में भी नहीं हैं, तथा उन्होनें आपके द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने बाबद प्रार्थना की थी।

07.02.19

निरन्तर...2 पर

तत्पश्चात् सूचना के अधिकार, 2005 में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए आपको दिनॉक–01/02/2019 को आमंत्रित किया गया तथा आपको सूचना पत्र क्र. 242 दि. 01/01/2019 जारी किया गया एवं श्रीमती उमा श्रीवास्तव द्वारा दिनॉक– 01/02/2019 को लिखित रूप से ली गई कड़ी आपत्ति के संबंध में बताया गया व उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन व आपत्ति की प्रतिलिपि प्रदान कर अवसर दिया गया तथा आपको दिनॉक–05/02/2019 तक समय इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आप श्रीमती उमा श्रीवास्वत से संबंधित उनकी निजी व गोपनीय जानकारी जो कि व्यापक लोकहित में भी प्रतीत नहीं होती है, क्यों चाहते है इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर बताए व लिखित में जवाब प्रस्तुत करे एवं ऐसा नहीं करते हैं तो मामलें में एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त सूचनापत्र के पालन में आप दिनांक 05/02/2019 को न तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए न ही इस संबंध में आपने कोई लिखित जवाब ही दिनांक 05/02/2019 तक प्रस्तुत किया हैं, अतः श्रीमती उमा श्रीवास्तव (सेवा निवृत्त अनुभाग अधिकारी, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर) द्वारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन व आपत्ति को ध्यान में रखते हुए सूचना के अधिकार के तहत तथा आपके द्वारा चाही गई जानकारी व्यापक लोकहित में भी प्रतीत नहीं होने से आपका सूचना के अधिकार से संबंधित उपरोक्त वर्णित आवेदन निरस्त किया जाता हैं।

आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि आप इस विनिश्चय के विरूध्द आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, अपीलीय अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के हकदार हैं ।

(राजेश कुमार शर्मा) 07/02/19
लोक सूचना अधिकारी सह डिप्टी रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर